समाहरणालय सारण (बिहार)

(जिला विधि शाखा)

:-06152-240001(Off)/06152-240002 (Res) E-mail:-dm-saran.bih@nic.in
:-06152-240006 (Fax) Web:- https://saran.nic.in

पत्र संख्या 1278/ विधि

प्रेषक,

राजेश मीणा, (भा0प्र0से0)
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

सेवा में,

सहायक निबंधक,
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
नई दिल्ली।

छपरा, दिनांक 4 वी अगस्त, 2022.

विशयः Suo Moto matter-OA No. 545/ 2022 अवैध पटाखा यूनिट में विस्फोट के संबंध में प्रतिवेदन।

प्रसंगः आपका पत्रांक शून्य, दिनांक 25.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र एवं वाद के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2022 को सारण जिला के नगरा प्रखंड अंतर्गत खोदाई बाग में हुए विस्फोट की घटना के उपरांत इसकी जाँच हेतु जिला स्तर पर तीन सदस्ययी जाँच दल का गठन किया गया जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा एवं सुश्री चांदनी सुमन, वरीय उप समाहर्त्ता, जिला शस्त्र शाखा, छपरा शामिल थे। तीन सदस्ययी जाँच दल से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि स्व0 रहमतातुल्लाह उर्फ टेनी मियां के तीन बेटे साबीर, मोलाजिम तथा रियाजुल उर्फ निरहुआ के द्वारा संयुक्त रूप से अपने मकान में अवैध पटाखा बनाने एवं बेचने का कार्य किया जाता था। अवैध रूप से पटाखा बनाने हेतु रखे गये विस्फोटक सामग्री में दिनांक 24.07.2022 को अचानक आग लग गई जिसके विस्फोट से मकान ध्वस्त हो गया। ध्वस्त मकान के मलवा में दबने से 05 व्यक्ति की मृत्यु तथा 03 व्यक्ति जख्मी हो गये। इस घटना के संदर्भ में खैरा थाना में कांड संख्या–286/22, दिनांक 24.07.2022 दर्ज कर अभियुक्तों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। घटना का विस्तृत जॉच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा के पत्रांक 985 दिनांक 03.08.2022 से प्राप्त है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

2. इसके अतिरिक्त शस्त्र दण्डाधिकारी, छपरा के द्वारा अपने पत्रांक 453/श0, दिनांक 03.08.2022 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 24.07.2022 को खोदाईबाग में हुई अप्रत्याशित घटना से संबंधित व्यक्तियों को पटाखा के निर्माण/भण्डारण एवं विक्री करने हुए कोई अनुज्ञप्ति निर्गत नही की गई है।

3. इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 1881/M/अप0शा0, दिनांक 04.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है जिससे यह बात प्रकाश में आई है कि दिनांक 24.07.2022 को खाना बनाने के क्रम में

गैस सिलेण्डर में आग लग गई तथा इससे विस्फोटक सामग्री में आग लगने के कारण उक्त घटना घटी। इस घटना में कुल 9 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाते हुए वैज्ञानिक जाँच एवं अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक 1797/M/अप0शा0, दिनांक 27.07.2022 द्वारा S.I.T का गठन कर मामले की गहन जाँच कराई जा रही है तथा जाँच दल को यह भी निर्देश दिया गया है कि तकनिकी सेल/डी0आइ0यू0 प्रभारी से समन्वय स्थापित कर तकनीकी साक्ष्य संकलन करते हुए इस काण्ड में संलिप्त अभियुक्तों/अपराधियों की अविलंब गिरफ्तार कर अनुसंधान पुरा करने का निर्देश दिया गया है। तीन सदस्यीय जाँच दल से प्राप्त प्रतिवेदन से यह भी परिलक्षित होता है कि इस क्षेत्र के चौकीदार मो0 जावेद के द्वारा अपने निर्धारित कर्त्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। साथ ही, स्थानीय थानाध्यक्ष, खैरा को शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के आरोप में उनसे स्पष्टीरकरण की मांग की गई थी, तथा स्पष्टीकरण असंतोषप्रद होने के कारण पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

अनु0–यथोपरि

विश्वासभाजन

04/08/22

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

पत्रांक 1881/अप0शा0
जिला विधि शाखा
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,सारण।

जिलाधिकारी एवं समाहर्ता
04 AUG 2022
सारण, छपरा

प्रेषक,
पुलिस अधीक्षक
सारण।

सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

छपरा, दिनांक- 04.08.2022

विषयः- दिनांक-24.07.22 को सारण जिले के खैरा थानान्तर्गत ग्राम-खोदाईबाग में हुए विस्फोट घटना के संदर्भ में दर्ज कांड खैरा थाना काण्ड सं0'-286/22,दिनांक-24.07.22 धारा-304 भा0द0वि0 एवं 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि दिनांक-24.07.22 को सारण जिले के खैरा थानान्तर्गत ग्राम-खोदाईबाग में हुए विस्फोट होने की घटना के संदर्भ में दर्ज कांड खैरा थाना काण्ड सं0'-286/22,दिनांक-24.07.22 धारा-304 भा0द0वि0 एवं 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अद्यतन स्थिति बिन्दुवार निम्न प्रकार हैः-

1घटित घटना का संक्षिप्त विवरणः- खैरा थानान्तर्गत ग्राम खोदाईबाग में साबिर,मुलाजिम एवं रियाजुल उर्फ निरहुआ का संयुक्त मकान मे परिवार के साथ रहते थे । इसी आवासीय मकान में आगे से एक साईकिल रिपेयरिंग की दुकान तथा एक किराना दुकान की दुकान के आड़ में चोरी छुपे अवैध रूप से पटाखा बनाने एवं बेचने का काम करने की बात प्रकाश में आई है। इसी कम में दिनांक-24.07.22 को खाना बनाने के कम में गैस सिलेण्डर मे आग लग गई तथा आग विस्फोटक सामग्री मे लग गया जिसके कारण विस्फोट होने की घटना घटी जिससे उक्त मकान ध्वस्त हो गया, जिसके मलवा में पॉच व्यक्ति के दबकर मृत्यु हो गई तथा तीन व्यक्ति जख्मी हो गये है। गैस सिलेण्डर के विस्फोट होने की बात भी सामने आ रही है। इस संदर्भ में खैरा थानाध्यक्ष पु0अ0नि0 विजय कुमार चौधरी के स्वयं के ब्यान पर खैरा थाना काण्ड सं0-286/22,दिनांक-24.07.22 धारा-304 भा0द0वि0 एवं 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1.सबीर अली (मृतक) 2.मुलाजिम (मृतक) 3.रियाजुल उर्फ निरहुआ तीनो पिता-स्व0 मो0 रहमतुल्लाह उर्फ टेनी मियॉ 4.नूर मोहम्मद पिता-मैनुद्दीन 5.मो0 नुमान पिता-स्व0 समशाद 6.एकराज पिता-बच्चा मियॉ 7.राजेश्वर चौधरी पिता-शिवनाथ चौधरी 8.रूस्तम मियॉ पिता-मो0 मैनुद्दीन 9.इस्लाम उर्फ दादा पिता-स्व0 मो0 इस्माईल सभी सा0-खोदाईबाग थाना-खैरा जिला-सारण के विरूद्ध दर्ज किया गया है।

2.घटना की तिथि,स्थान,थाना/प्रखण्ड/जिला मुख्यालय से दुरीः-
(i) घटना की तिथिः-24.07.22
(ii) थाना/प्रखण्ड कार्यालय नगरा से घटनास्थल की दूरी करीब 06 कि0मी0
(iii)जिला मुख्यालय से घटनास्थल की दूरी लगभग 17 कि0मी0।

2.घटनास्थलः- खैरा थानान्तर्गत ग्राम-खोदाईबाग के उत्तर माही नदी (गंटकी नदी) के दक्षिण ग्रामीण पक्की सड़क के पश्चिम अभियुक्त साबिर,मुलाजिम एवं रियाजुल उर्फ निरहुआ का संयुक्त एक मंजिला मकान है। इसी मे पटाखा बनाने का अवैध कारोबार किया जा रहा था। इस मकान मे आगे साईकिल पंचर का दुकान है। पटाखा सामग्री मे विस्फोन होने से मकान एवं दुकान मलवा मे तब्दील हो गया है।

3.मृतक /जख्मी का नाम पताः- मृतकः- 1.अभियुक्त साबिर अली 2.अभियुक्त मुलाजिम दोनो पिता-स्व0 मो0 रहमतुल्लाह उर्फ टेनी मियॉ 3.मीना बेगम पति-स्व0 मो0 रहमतुल्लाह उर्फ टेनी मियॉ 4.शबाना बेगम पति-मो0 मुलाजिम सभी सा0-खोदाईबाग थाना-खैरा जिला-सारण 5.शहजाद हुसैन पिता-सिराजुद्धीन सा0-शीतलपुर थाना-दिघवारा जिला-सारण ।

जख्मीः- 1.असरफ अली पिता-रियाजुल उर्फ निरहुआ 2.तनुजा खातुन पति-फिरोज आलम 3.सोना खातुन पिता-रियाजुल उर्फ निरहुआ तीनो सा0-खोदाईबाग थाना-खैरा जिला-सारण।

4.वैज्ञानिक जॉच/अनुसंधान हेतु कृत कार्रवाईः- घटना के घटने के बाद त्वरित कार्रवाई कर फायर बिग्रेड,एफ0एस0एल0, बम निरोधक दस्ता एवं एम्बुलेंस को सूचित कर बुलाया गया तथा आग पर नियंत्रण किया गया। मृतक एवं जख्मियो को मलवा से निकाला गया। मृतक एवं जख्मी को सदर अस्पताल छपरा भेजा गया जहॉ पॉच मृतक का अन्त्य परीक्षण कराया गया तथा तीन जख्मी का ईलाज कराया गया है। जख्मी तनुजा खातुन पति-फिरोज आलम,असरफ अली पिता-रियाजुल उर्फ निरहुआ एवं सोना खातुन पिता-रियाजुल

उर्फ निरहुआ को बेहतर ईलाज के लिये पी0एम0सी0एच0,पटना रेफर किया गया । तत्पश्चात तीनो जख्मी को ईलाज के लिये पी0एम0सी0एच0,पटना भेजा है। बम निरोधक दस्ता द्वारा जप्त विस्फोटक पदार्थ को विनष्ट किया गया तथा एफ0एस0एल0 की टीम द्वारा घटनास्थल से प्रदर्श को जप्त किया गया है जिसे माननीय सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त कर माननीय सक्षम न्यायालय का ज्ञापांक–871/22,दिनांक–25.07.22 के आलोक मे जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर को भेजा गया है।

5.अभियुक्तो का नाम–पताः– 1.सबीर अली (मृतक) 2.मुलाजिम (मृतक) 3.रियाजुल उर्फ निरहुआ तीनो पिता–स्व0 मो0 रहमतुल्लाह उर्फ टेनी मियॉ 4.नूर मोहम्मद पिता–मैनुद्धीन 5.मो0 नुमान पिता–स्व0 समशाद 6.एकराज पिता–बच्चा मियॉ 7.राजेश्वर चौधरी पिता–शिवनाथ चौधरी 8.रूस्तम मियॉ पिता–मो0 मैनुद्धीन 9.इस्लाम उर्फ दादा पिता–स्व0 मो0 इस्माईल सभी सा0–खोदाईबाग थाना–खैरा जिला–सारण।

6.अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण टिप्पणीः– अब तक के अनुसंधान एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,सदर के पर्यवेक्षण से यह काण्ड धारा–304/34 भा0द0वि0 एवं 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1.सबीर अली (मृतक) 2.मुलाजिम (मृतक) 3.रियाजुल उर्फ निरहुआ तीनो पिता–स्व0 मो0 रहमतुल्लाह उर्फ टेनी मियॉ 4.नूर मोहम्मद पिता–मैनुद्धीन 5.मो0 नुमान पिता–स्व0 शमशाद 6.एकराज पिता–बच्चा मियॉ 7.राजेश्वर चौधरी पिता–शिवनाथ चौधरी 8.रूस्तम मियॉ पिता–मो0 मैनुद्धीन 9.इस्लाम उर्फ दादा पिता–स्व0 मो0 इस्माईल सभी सा0–खोदाईबाग थाना–खैरा जिला–सारण के विरूद्व सत्य प्रतीत होना पाया गया है। इस काण्ड मे आये नाम मो0 सरफराज पिता–जहॉगीर आलम सा0–खाजेसरा थाना–खैरा जिला–सारण की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होना पाया गया है। इसके विरूद्ध ठोस साक्ष्य संकलित किया जा रहा है।

7.काण्ड में की गई कार्रवाईः– अनुसंधानकर्त्ता द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस काण्ड मे प्राथमिकी अभियुक्त 1.रियाजुल उर्फ रियाजुद्दीन उर्फ निरहुआ पिता–स्व0 मो0रहमतुल्लाह 2.रूस्तम पिता–मो0 मैनुद्धीन दोनो सा0–खोदाईबाग थाना–खैरा जिला–सारण को दिनांक–26.07.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया है। प्राथमिकी अभियुक्त 3.राजेश्वर चौधरी पिता–शिवनाथ चौधरी सा0–खोदाईबाग थाना–खैरा जिला–सारण को दिनांक–29.07.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया है। प्राथमिकी अभियुक्त 4.मो0 इस्लाम उर्फ दादा पिता–स्व0 मो0 इस्माईल सा0–खोदाईबाग थाना–खैरा जिला–सारण को दिनांक–02.08.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया है।

8.घटना का जॉचः– दिनांक–24.07.22 को खैरा थानान्तर्गत ग्राम खोदाईबाग मे हुई विस्फोटक घटना का जॉच जिलाधिकारी,सारण द्वारा कार्यालय ज्ञापांक–01/मु0 दिनांक–25.07.22 के माध्यम से वरीय उप–समाहैता शस्त्र,सारण, अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,सदर से संयुक्त रूप से जॉच कराया गया है जिसके आलोक में संयुक्त जॉच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी सदर कार्यालय पत्रांक–985/दिनांक–03.08.22 के माध्यम से समर्पित किया गया है। जॉच के कम मे पाया गया कि अभियुक्त सबीर अली,मोलाजिम एवं रियाजुल उर्फ निरहुआ द्वारा अपने सयुक्त मकान में अवैध तरीके से पटाखा का निर्माण,भण्डारण तथा बिकी शादी विवाह,छठ,दीपावली,त्योहार इत्यादि के अवसर पर लगभग पॉच वर्षो से कार्य किया जा रहा था। घटनास्थल खोदाईबाग मस्जिद के पीछे,गंडकी नदी पुलिया के बगल रोड के सटे अवस्थित है। जहॉ लोगो की नियमित आवाजाही भी होती है। ऐसे मे महाल चौकीदार मो0 जावेद के द्वारा थाना को नियमित रूप से सूचित नही किया जाना तथा पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी के नजर मे नही आ पाना सूचना आसंग्रहण मे कमी को परिलिक्षत करता है। अगर स्थानीय स्तर पर ससमय अवैध पटाखा,निर्माण,भण्डारण एवं बिकी पर रोक लगाने हेतु समुचित कार्रवाई की गई होती तो इस तरह की घटना घटित होने से रोका जा सकता था। इससे प्रतीत होता है कि महाल चौकीदार मो0 जावेद के द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्य के निर्वहन मे घोर लापरवाही एवं कोताही बरती गई है। साथ स्थानीय थाना खैरा के शिथिलता एवं लापरवाही को इंगित करता है। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष खैरा से स्पष्टीकरण की मॉग की गई है तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,सदर से इस घटना के घटने में थानाध्यक्ष खैरा की भूमिका के सम्बन्ध मे विस्तृत जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई है।

घटना का कारण है कि खैरा थानान्तर्गत ग्राम खोदाईबाग में गंडकी नदी के जमीन में साबिर,मुलाजिम एवं रियाजुल उर्फ निरहुआ का संयुक्त आवासीय मकान है। मकान के आगे साईकिल रिपेयरिंग दुकान तथा एक किराना दुकान है। इसी दुकान के आड़ में चोरी छिपे अवैध रूप से पटाखा बनाने की बात प्रकाश में आई है। इसी कम मे दिनांक–24.07.22 को घर मे खाना बनाने के कम मे रसोई गैस सिलेण्डर मे आग पकड़ लिया तथा आग विस्फोट सामग्री मे लग गया जिससे विस्फोटक पदार्थ एवं गैस सिलेण्डर विस्फोट कर गया। विस्फोट होने के कारण मकान ध्वस्त हो गया जिसके मलवा से दबने पॉच व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा तीन व्यक्ति जख्मी हो गया है । जख्मियो को ईलाज के लिये सदर अस्पताल छपरा भेजा गया जहॉ प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर ईलाज के लिये पी0एम0सी0एच0,पटना भेजा गया तथा पॉचो मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

9.काण्ड की अद्यतन स्थितिः– यह काण्ड प्राथमिकी अभियुक्त 1.नूर मोहम्मद पिता–मैनुद्धीन 2.मो0 नुमान पिता–स्व0 समशाद 3..एकराज पिता–बच्चा मियॉ तीनो सा0–खोदाईबाग थाना–खैरा जिला–सारण की गिरफ्तारी एवं कुछ बिन्दुओ पर अनुसंधान हेतु लंबित है।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

विश्वासभाजन

04.08.22

पुलिस अधीक्षक, सारण।

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, सारण।

(अपराध शाखा)

आदेश

दिनांक–24.07.22 को खैरा थानान्तर्गत ग्राम–खोदाईबाग स्थित रेयाजुल उर्फ निरहुआ,मुलाजिम मियॉ एवं साबिर अली के संयुक्त घर में अवैध रूप से पटाखा बनाने के कम में हुई विस्फोटक घटना में मकान ध्वस्त होने से मलवा में दबने से पॉच व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसके संदर्भ में वादी पु0अ0नि0 विजय कुमार चौधरी,थानाध्यक्ष खैरा के स्वयं के ब्यान मे आधार पर खैरा थाना काण्ड सं0–286/22,दिनांक–24.07.22 धारा–304 भा0द0वि0 एवं 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद 09 (नौ) अभियुक्तो के विरूद्ध प्रतिवेदित हुआ है। इस काण्ड की गम्भीरता को देखते हुए इस घटना मे संलिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर सारण के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल (SIT) का गठन किया जाता है। उक्त SIT में निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को शामिल किया जाता है :–

क्र0	नाम/पदनाम	मोबाईल नं0	Whatsapp no
01	श्री मुनेश्वर प्रसाद सिंह, अनु0पु0पदा, सदर, सारण (नेतृत्वकर्ता)।	9431800075	9771195499
02	पु0नि0 अरूण कुमार अकेला, प्रभारी DIU सारण (सदस्य)।	7004256289	7004256289
03	पु0नि0 मंजू सिंह,अंचल निरीक्षक,सदर,सारण (अनुसंधानकर्त्ता/सदस्य)	9934791624	9934791624
04	पु0अ0नि0 अमितेश जिला आसूचना ईकाई, सारण (सदस्य)	9304404269	9304404269
05	पु0अ0नि0 राजेश चौधरी, जिला आसूचना ईकाई, सारण (सदस्य)।	7004163637	7004163637
06	पु0अ0नि0 विजय कुमार चौधरी,थानाध्यक्ष खैरा थाना (सदस्य)।	8210205848	8210205848
07	पु0अ0नि0 रामसेवक रावत, थानाध्यक्ष, गरखा थाना (सदस्य)।	9801712298	9801712298
08	पु0अ0नि0 शिवनाथ राम, प्रभारी नगरा ओ0पी0 (सदस्य)।	9798279737	9798279737
09	प्र0पु0अ0नि0 रविन्द्र कुमार,खैरा थाना (सदस्य)।	8210482259	8210482259
10.	सिपाही/903 सुमन्त कुमार,तकनीकि शाखा,सारण (सदस्य)	9835901610	9835901610

SIT में शामिल पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि तकनीकि सेल/ डी0आई0यू0 प्रभारी से समन्वय स्थापित कर तकनीकि साक्ष्य संकलन करें तथा अन्य श्रोतों से मानवीय आसूचना संग्रह कर शीघ्र त्वरित कारवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों/अपराधियो की अविलम्ब गिरफतारी करना सुनिश्चित करें, साथ ही गुणवतापूर्ण साक्ष्यपूरित तकनीकि एवं पारम्परिक अनुसंधान कर कांड का निष्पादन करें। **इसे उच्च प्राथमिकता दें।**

27.07.22

पुलिस अधीक्षक,सारण।

ज्ञापांक 1797/अ/ अप0शा0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय सारण।

सारण, दिनांक :– 27.07.2022

प्रतिलिपि :– 01. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

02 पुलिस निरीक्षक,सदर अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

03. प्रभारी DIU सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

04. SIT में शामिल सभी पदाधिकारियों/कर्मीयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

27.07.22

पुलिस अधीक्षक,सारण।

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा (गोपनीय शाखा)

25

संयुक्त पत्रांक....985..../ दिनांक- 03.08.2022

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर,छपरा।

....

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,
सदर,छपरा।

....

सुश्री चांदनी सुमन,
वरीय उप समाहर्ता (शस्त्र),
सारण, छपरा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

विषयः- दिनांक-24.07.2022 को नगरा प्रखण्ड अन्तर्गत खोदाईबाग बाजार में विस्फोट की घटना [illegible] से संबंधित जांच प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंगः- भवदीय आदेश ज्ञापांक-01/ मु0, दिनांक-25.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि भवदीय द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच कमिटी के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-24.07.2022 एवं दिनांक-29.07.2022 को नगरा प्रखण्ड अन्तर्गत खोदाईबाग बाजार जहां विस्फोट की घटना घटित हुई थी, का स्थल निरीक्षण किया गया। घटना स्थल के आस-पास अवस्थित लोगों एवं दुकानदारों से घटित घटना के परिपेक्ष्य में गहन पूछ-ताछ की गई तथा उनका बयान दर्ज किया गया जो निम्नवत् है :-

1. अरमान बाबू पिता सहमुद्दीन ग्राम खोदाईबाग जिनका दुकान घटना स्थल के पूरब तरफ अवस्थित है। दुकान का नाम फरहान विस्कुट एण्ड कोल्ड ड्रिक्क है। अरमान बाबु द्वारा बताया गया कि दिनांक-24.07.2022 को लगभग 11 बजे दिन में अचानक पटाखा फटने के उपरांत धुआं एवं गैस हो जाने के कारण वह दुकान छोड़कर मंदिर के पास भाग गये। लगभग 10-15 मिनट तक गैस, पटाखा फटने की आवांज, धुआं, गरदा निकला। जिसके घर में घटना घटी उस व्यक्ति का नाम साबीर अख्तर एवं मोलाजिम है। उक्त घटना में साबीर एवं मुलाजिम की मृत्यु हो गई। साबीर अख्तर का दुकान दो-चार साल पुराना था। बगल में गुमटी थी जिसमें पटाखा रखा था। पटाखा सबीर अख्तर द्वारा बनाया जाता था। पहले साबीर अख्तर का फूस पलानी का घर था। चार माह पूर्व पक्का का मकान तैयार किया गया था। मेरा दूकान पांच साल से है। साबीर अख्तर का मूलतः पुराना घर खोदाईबाग बाजार में अवस्थित है। उनके दुकान से पटाखा शादी के अवसर पर तथा त्योहार के अवसर पर बिक्री होता था।

2. जांच के समय जमील अहमद सिद्दकी, पिता स्व0 जमीन सिद्दकी, ग्राम खाजा सराय, पो0 खोदाईबाग बाजार द्वारा बताया गया कि दिनांक-24.07.2022 समय लगभग 11.00 मेरे दुकान (सवील इलेक्ट्रीक जो बारह साल पूर्व से है) के बगल में साबीर का मकान था, जिससे जोर की आवाज आयी। थोड़ा देर बाद आग का लपेटा देखा गया। आग लगने के बाद पटाखे की आवाज आयी। साबीर शादी, विवाह, त्योहारों पे पटाखा की बिक्री किया करते थे। पटाखें का निर्माण साबीर के साथ उनके भाई मोलाजिम द्वारा किया जाता है। इसके अलावे साईकिल की मरम्मति भी की जाती थी। साबीर के दुकान के बगल में कपड़े की दुकान फिरोज अहमद की थी जो विस्फोट में जल गई। साबीर एवं उनके भाई द्वारा लगभग पांच वर्षो से पटाखा का व्यवसाय किया जाता था। जमील अहमद सिद्दकी द्वारा बताया गया कि भयानक आवाज एक थी इसके बाद की आवाजे छोटे-छोटे पटाखे की थी, जो कुछ देर तक (लगभग 10-15 मिनट तक रुक-रुक कर होते रहा।

3. जांच स्थल पर उपस्थित मोहम्मद इकबाल, पिता मोहम्मद सबीर रजा सिद्दकी, खोदाईबाग द्वारा बताया गया कि मेरे दुकान (जेसा फैशन) के सामने साबीर का मकान अवस्थित है। मै अपना दुकान 9.00 बजे सुबह में खोलकर एक मैयत में भाग लेने हेतु घर चला गया। मैं दुकान की देख-रेख करने के लिए बगल वाले दुकानदार को बोलकर चला गया। लगभग 11.00 बजे के बाद एक जोर की आवाज हुआ। जिसपर मैं भागे-भागे अपनी दुकान पर आया। उस समय मोलाजिम एवं साबीर अख्तर का मकान गिर चुका था। चिन्गारी से बचाने के लिए मैनें जल्दी-जल्दी अपना दुकान बंद कर दिया। पटाखे का आवाज लगभग 15 से 20 मिनट तक हुआ था। ईट, कंकड़ का टुकड़ा, कुछ मस्जिद और कुछ गंडकी नदी पर बने पुलिया के तरफ उड़ रहा था। साबीर का घर छः माह पहले ही पक्का का बना था जो पूर्व में फूस और करकट का था। मेरी दुकान 2017 के आस-पास खुली है तथा मेरी जानकारी में तभी से पटाखा बनाने एवं बेचने का काम करते थे साबीर और घर वाले। घटना क्रम में ध्वस्त मकान साबीर एवं मोलाजिम का था। उनके द्वारा त्योहार एवं शादी-ब्याह आदि के अवसर पर पांच वर्षो से पटाखा का व्यवसाय किया जा रहा था। खोदाईबाग बाजार में भी इनका पुराना फूस का मकान है, जिसमें अन्य भाई निजामुद्दीन (बड़े भाई) निवास करते है।

4. जांच के समय स्थल पर उपस्थित आयसा तब्बसुम पिता शहबुब आलम, खोदाईबाग, छपरा द्वारा बताया गया कि उनका दुकान सारण रेडिमेड सेन्टर डेढ़ वर्ष पहले खुला है। घटना, दिनांक-24.07.2022 को 11.00 बजे के बाद हुआ था। दुकान पर मैं उपस्थित थी एवं मेरे पिता जी मार्केटिंग के लिए खलीलाबाद गये थे। जब बम फूटा तो हम बेहोश हो गये।

5. जांच के समय स्थल पर मौजूद शहबूब आलम, पिता ताज मोहम्मद, खोदाईबाग द्वारा बयान दिया गया कि मेरी दुकान के उत्तर तरफ साबीर एवं मोलाजिम का मकान अवस्थित है जो तीन-चार माह पूर्व में पक्का का बनाया गया था। साबीर का व्यवसाय मूलतः शादी समारोह एवं पर्व, त्योहार में पटाखा आदि का था। साबीर द्वारा छोटे पटाखा स्वयं तैयार किया जाता था तथा कुछ

पटाखा रेडीमेड लाता था। मैनें दुकान मस्जिद से एग्रीमेन्ट कर किराये पर लिया है और 01.01.2021 से शुरू किया हैं। साबीर पक्का मकान में पटाखा का निर्माण करता था और सड़क के पूर्वी तरफ स्थित गुमटी से पटाखा का व्यापार करता था।

6. जांच के दरम्यान स्थल पर उपस्थित जफर ईमाम पिता स्व0 अब्दुल रसीद, ग्राम खोदाईबाग द्वारा बयान दिया गया कि मेरा दुकान पुल के दक्षिण तरफ स्थित है। दुकान का नाम त्रिमेजी हार्डवेयर है। दिनांक-24.07.2022 को 11 बजे दिन में साबीर के मकान से विस्फोट हुआ। साबीर छोटे पटाखा का निर्माण कर उसका व्यवसाय करते थे। उनके द्वारा शादी-विवाह, त्योहार पर पटाखे की आपूर्ति की जाती थी। जब घटना के समय आवाज हुआ तब मैं अपनी दुकान पर ही था। पहले वाला आवाज ज्यादा था। फिर आवाज धीमी गति से होने लगा। पूरा घर धुआं से अन्धेरा हो गया था। लोग जहा-तहां भाग रहे थे। मेरा दुकान बाईस बरस से अवस्थित है। साबीर एवं मोलाजिम वर्ष 2016 के आस-पास (घटना स्थल) नया मकान बनाकर उसमें पटाखा का व्यवसाय करते थे। पूर्व में मकान करकट आदि का था जो दो माह पूर्व ही पक्का कराया गया था, जिसमें साबीर, मोलाजिम एवं उसकी मां, भौजाई, भतीजा निवास करते थे। साबीर(उम्र 20 वर्ष) के पिता टेनी मियां (जो चार वर्ष पूर्व में मर गये) साईकिल पर पारचून का सामान बिक्री करते थे। साबीर का पुस्तैनी मकान बाजार में स्थित है जो कच्चा है उसमें अन्य भाई निवास करते है। साबीर पटाखा का कारोबार चार-पांच वर्ष पूर्व से करता था तथा छोटा पटाखा, सुतरी वाला पटाखा एवं नागीन पटाखा बनाया करता था। छठ, दीपावली, शादी विवाह में दुकान लगा कर पटाखा की बिक्री (खुदरा व्यापारी के रूप में) का कार्य करता था। **(सभी छः व्यक्तियों के बयान की मूलप्रति संलग्न)**

वर्णित घटना के परिपेक्ष्य में अंचल अधिकारी, नगरा एवं थानाध्यक्ष, खैरा के द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन पत्रांक-688, दिनांक-01.08.2022 से अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि स्व0 रहमततुल्लाह के तीन बेटे साबीर, मोलाजिम तथा रियाजुल उर्फ निरहुआ के द्वारा संयुक्त रूप से मकान में अवैध पटाखा बनाने एवं बेचने का कार्य किया जाता था। अवैध रूप से पटाखा बनाने हेतु रखे गये विस्फोटक सामग्री में दिनांक-24.07.2022 को अचानक आग लग गई जिसके विस्फोट से मकान ध्वस्त हो गया। ध्वस्त मकान के मलवा में दबने से 05 व्यक्ति की मृत्यु तथा 03 व्यक्ति जख्मी हो गये। इस घटना के संदर्भ में थानाध्यक्ष, खैरा के स्वयं के बयान पर खैरा थाना कांड संख्या-286/22, दिनांक-24.07.2022 को धारा 304 भा0द0वि0 एवं 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 09 अभियुक्तों सभी साकिन खोदाईबाग, जिला सारण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें से 02 अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 04 अभियुक्त वर्तमान समय में न्यायिक हिरासत में है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इस अवैध कार्य के बारे में स्थानीय ग्रामीण महाल चौकीदार मो0 जावेद एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सूचना नही दी गई थी। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि थानाध्यक्ष, खैरा के गश्ती के कम में घटनास्थल वाले

स्थान एवं गांव का भ्रमण किया जाता था। लेकिन किसी भी ग्रामीणों या स्थानीय चौकीदार या जनप्रतिनिधियों द्वारा रियाजुल उर्फ निरहुआ एवं उनके भाईयों के द्वारा घर में अवैध पटाखा बनाने की शिकायत या सूचना नही दिया गया।

जांच के समय स्थल पर उपस्थित लोगों द्वारा दिये गये बयान, अंचल अधिकारी, नगरा एवं थानाध्यक्ष, खैरा के संयुक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि स्व0 रहमततुल्लाह उर्फ टेनी मियां के बेटे साबीर तथा मोलाजिम द्वारा अपने मकान में अवैध तरीके से पटाखा का निर्माण, भंडारण, तथा बिक्री शादी-विवाह, छठ, दीपावली, त्योहार इत्यादि के अवसर पर लगभग पांच वर्षो से किया जा रहा था। घटना स्थल खोदाईबाग मस्जिद के पीछे, गंडकी नदी पुलिया के बगल रोड के सटे अवस्थित है। जहां लोगों की नियमित आवाजाही भी होती है। ऐसे में महाल चौकीदार मो0 जावेद के द्वारा थाना को नियमित रूप से सूचित नही किया जाना तथा पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी के नजर में नही आ पाना सूचना आसंग्रहण में कमी को परिलक्षित करता है। अगर स्थानीय स्तर पर ससमय अवैध पटाखा निर्माण,भंडारण, तथा बिक्री पर रोक लगाने हेतु समुचित कार्रवाई की गई होती तो इस तरह की घटना घटित होने से रोका जा सकता था। इससे प्रतीत होता है कि महाल चौकीदार मो0 जावेद के द्वारा अपने निर्धारित कर्तब्य के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं कोताही बरती गई है। साथ ही, स्थानीय थाना खैरा के शिथिलता एवं लापरवाही को इंगित करता है।

प्रतिवेदन भवदीय की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु0यथावर्णित

3/8/2022

सुश्री चांदनी सुमन,
वरीय उप समाहर्ता,
शस्त्र, सारण।

03-08-22

अुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,
सदर, छपरा।

विश्वासभाजन

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर,छपरा।

समाहरणालय, सारण (बिहार)

Collectorate, saran

:-06152-240001 (Off) E-mail :- dm-saran.bih@nic.in
:-06152-240002 (Res)/240006 (Fax) Web:-https://saran.nic.in

15
R.R.No
1828/4.8.22

(जिला शस्त्र शाखा)
पत्र संख्याः-.....453./श0

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी
जिला शस्त्र शाखा,
सारण, छपरा

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
सारण, छपरा।

छपरा, दिनांक.....03../.....08../2022

विषय- **Suo Moto-OA. No-545/2022 खुदाईबाग नगरा में अवैध पटाखा यूनिट में हुए विस्फोट के संबंध में।**

प्रसंगः- भवदीय पत्रांक-1141 विधि दिनांक-26.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि इस जिले में मात्र दो (2) पटाखा विक्रेताओं क्रमशः-1. मैनुल हक, पिता-स्व0 अब्दुल हकीम, मु0-करीमचक, थाना-नगर छपरा, जिला-सारण (अनुज्ञप्ति संख्या-01/84) एवं 2. प्रमोद कुमार, पिता-मानिक चन्द्र प्रसाद, मु0-लाह बाजार, थाना-नगर छपरा, जिला-सारण (अनुज्ञप्ति संख्या-01/2011) को अनुज्ञप्ति निर्गत है। Suo Moto-OA. No-545/2022 खुदाईबाग नगरा में अवैध पटाखा यूनिट में हुए विस्फोट से संबंधित व्यक्ति/प्रतिष्ठान को पटाखा निर्माण/भंडारण एवं विक्री से संबधित अनुज्ञप्ति इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही की गयी है।

विश्वासभाजन

3/8/2022

प्रभारी पदाधिकारी
जिला शस्त्र शाखा,
सारण, छपरा

04.8.22